



कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) शेखपुरा।

देसी योजना के कार्यान्वयन हेतु फ़ैसिलिटेटर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

- 1 राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) हैदराबाद के द्वारा संचालित देसी योजना अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी विषय पर उर्वरक विक्रेताओं को प्रशिक्षण देने के लिए जिला स्तर पर 01 रिक्त पद के लिए फ़ैसिलिटेटर का संविदा आधारित नियोजन करने हेतु ऑफ-लाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
- 2 रिक्त पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, नियत मानदेय, आवेदन पत्र, नियोजन की प्रक्रिया तथा नियोजन की अन्य शर्तें आत्मा कार्यालय के वेबसाइट www.atmasheikhpura.com पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन को ऑफ-लाईन (स्वयं) एवं डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।
- 3 फ़ैसिलिटेटर पद के लिए मानदेय प्रति माह- 17000/- रुपये (कोर्स अवधि तक) एकमुश्त पारिश्रमिक के रूप में देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
- 4 आवेदन-पत्र विज्ञापन की तिथि दिनांक 05.08.2023 से दिनांक 25.08.2023 को अपराह्न 05:00 बजे तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है तथा विशेष जानकारी आत्मा कार्यालय, शेखपुरा के कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।
- 5 परियोजना निदेशक, आत्मा, शेखपुरा के पास त्रुटिपूर्ण एवं अधूरे आवेदनपत्रों को अस्वीकृत करने तथा किसी भी समय विशेष परिस्थिति में नियोजन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 6 नियोजन से संबंधित सभी प्रकार केवादों का निपटारा शेखपुरा जिला (बिहार) अवस्थित माननीय न्यायालय में सम्पादित किया जायेगा।
- 7 आवेदन-पत्र भेजने का पता :- परियोजना निदेशक, आत्मा कार्यालय, संयुक्त कृषि भवन, द्वितीय तल, वी0आई0पी0 रोड शेखपुरा (बिहार) पिन कोड- 811105

जिला कृषि पदाधिकारी-सह-
परियोजना निदेशक, आत्मा, शेखपुरा।

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

158

Procedure and Criteria for selection of Facilitator

The following procedure and criteria shall be adopted for recruitment of DAESI facilitators in all the NTIs to run DAESI program

- Applications will be invited by NTIs/SAMETI from agri-professionals to work as 'Facilitators' for organizing DAESI program. The Facilitator should be residing in the District where DAESI program is implemented.
- The appointment will be on contract basis for one year only.
- After the completion of the batch, the same facilitator can be appointed as facilitator for other DAESI programs.
- A single facilitator cannot organize more than one DAESI program simultaneously at any point of time.
- The Facilitator will be selected based on the following criteria
 - a. Graduate/post graduate in Agriculture/Horticulture with minimum 3 years' experience in agriculture or allied sectors. Preference may be given to Agriculture graduates having an experience of around 20 years in Department of Agriculture, SAUs or KVKs with sufficient field experience. Candidate must not have attained the age of 65 years.
 - b. The candidate should have adequate knowledge about the agricultural activities undertaken in the districts and experience in organizing training programs.
 - c. The candidates must have good oral and writing communications skills and should be capable of mobilizing input dealers for DAESI Program
 - d. The candidate should be proficient to handle the computers, smart phones and to independently manage the documentation and database management of DAESI program.
 - e. Selection committee to recruit the facilitator may be formulated at district level with representatives from SAMETI, ATMA and implementing agencies and complete the recruitment in fair and transparent manner

Application Form for contractual appointment of Facilitator in DAESI
Programme

सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क स्वीकार किया जाएगा।

1. Name of the candidate :
(In Block Letters)
2. Father's/Husband's Name :
3. Date of Birth :
4. Sex :
5. Permanent Address with Pin code
Village/Mohalla -
Path/Street Name & Number -
Post Office -
P.S. -
District -
State-
Pin Code-
6. Address for correspondence with Pin code :
Village/Mohalla -
Path/Street Name & Number -
Post Office -
P.S. -
District -
State-
Pin Code-
7. Phone No./ Mobile No. :
8. Email ID :
9. Reservation Category - :



10. Details of educational qualification

Name of Exam	Sector (Agril./ Hort.)	Year of passing	Name of Institute/ University/ Board	Main Subjects	Result		
					Maximum Marks	Marks Obtained	Percentage Marks
Graduation							
Post Graduation							
Doctorate							

11. Experience

S.No.	Details of Experience	Name of the department/ institution	Type of institution (Govt./ Semi Govt./ Govt. Undertaking)	Working period	Working experience in years
1.	Additional Service Experience				
2.	Experience in Training Institute				
3.	Experience in Field Extension				

Note - Self attested photocopy of the experience certificate must be enclosed.

It is certified that the above statement made by me is true to the best of my knowledge and believe. If any statement is found false/untrue my application should be cancelled and legal action can be taken against me.

Date

(Signature of the Candidate)

Place

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा परियोजना निदेशक, आत्मा एवं चयनित/नियोजित श्री/श्रीमती/सुश्री..... के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जा रहा है -

1. यह नियोजन केवल (पद का नाम) के लिए किया गया है।
2. संविदा की अवधि की समाप्ति पर ऐसा नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री/श्रीमती/सुश्री..... को ₹0 17000/- (सत्रह हजार मात्र रूपये) एकमुश्त पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
7. नियोजन के समय नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
8. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (Contract Period) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि का एकमुश्त भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।
9. वर्तमान में यह नियोजन केवल एक वर्ष के लिए किया गया है। मूल्यांकन के उपरांत कार्य संतोषजनक पाए जाने एवं संबंधित जिला में DAESI कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य उपलब्ध रहने की स्थिति में सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपर्युक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
11. यह एकरारनामा दिनांक से प्रभावी होगा।

()

परियोजना निदेशक
आत्मा,

()

नियोजित व्यक्ति (Facilitator)